

न्यायालय ~~तहसीलदार~~/नायब तहसीलदार, बनेड़ा  
जिला-भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या.....2119...../20..... ना.क.

पटवार हल्का.....~~बामलिपा~~.....बनाम श्री.....~~अनवान~~.....पिता श्री.....~~जगन्नाथ~~  
तहसील-बनेड़ा, जिला-भीलवाड़ा.....जाति.....~~मील~~.....निवासी.....~~मीलपुरा~~

(प्रार्थी)

(अप्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
निर्णय

दिनांक.....6/9/19.....

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का एवं अप्रार्थी उपस्थित हैं। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं:-

ग्राम.....~~मीलपुरा~~.....पटवार मण्डल.....~~बामलिपा~~.....तहसील बनेड़ा की  
बिलानाम/चरागाह आराजी नम्बर.....33.....में से रकबा.....0.04.....बीघा पर  
अप्रार्थी द्वारा फसल ~~खरीफ~~/खरीफ सम्बत्.....2026.....के दौरान अतिक्रमण कर फसल जिस.....  
~~पककी रोवाल बाड़ा~~ काश्त/अवैध कब्जा/~~पककी रोवाल बाड़ा~~ कर लेने पर पटवारी  
हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (3) का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया  
गया। नोटिस विधिवत तामिल होकर शामिल पत्रावली किया गया है।

वक्त तारीख पेशी पर अप्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपना अतिक्रमण  
होना तथा जिस ~~पककी रोवाल बाड़ा~~ काश्त स्वीकार किया तथा नियमन किये जाने बाबत कोई  
साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये/अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है अतः मामले में एक तरफा  
कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

चूंकि अप्रार्थी ने राजकीय बिलानाम/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की है अतः प्रार्थी  
को अतिक्रमी करार देतेहुये मौके से बेदखल किये जाने एवं ~~फसल जब्त सरकार की जाकर मिलाव किये जाने~~  
का आदेश दिया जाता है तथा अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि का वार्षिक लगान.....0.16.....X  
.....50.....का गुणा.....87.....रुपये के अर्थ दण्ड ये दण्डित किया जाता है।  
आदेश खुले न्यायालय से सुनाया जाता है।

पालनार्थ पटवारी हल्का को लिखा जावे। राजस्व लेखाकार के यहां पत्रावली में मांग कायम कराई  
जावे। बाद तामिल तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

~~तहसीलदार बनेड़ा~~  
भीलवाड़ा (रा.ब.)